राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 17/22

दायर दिनांक 27.05.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. पांची देवी पत्नि मुन्नीलाल जाति बावरी निवासी ग्राम निटूटी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम ग्राम निटूटी, पटवार हल्का निटूटी, भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ के ख0न0 953/944 रकबा 0.2523 है0 व ख0न0 955/944 रकबा 0.2878 है0, भूमि अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया की वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 944/941 के पूर्व , पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण चारों दिशाओं में अन्य खातेदारान की कृषि भूमि है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीयामौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश पटवारी के नाम से करवाये। सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीया सन्तुष्ट नहीं है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चली आ रही है। प्रार्थीया व अन्य पड़ौसी खातेदार के मध्य आये दिन सींव , मेड़ को लेकर विवाद होता रहता है, जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। प्रार्थीया अपनी वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। बिना वजह पडोसी खातेदारान के मध्य विवाद उत्पन्न होंगे। इसलिए प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चली आ रही है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर जब भी हमेशा की तरह बुवाई, जुताई, कटाई करती है तब पड़ोसी खातेदारान बाधा कारित करते है तब से वाद निरन्तर जारी है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम निटूटी की अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2072–75 जमाबनदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 84 में ख0न0 953/944 रकबा 0.2523 है0 व ख0न0 955/944 रकबा 0.2878 है0 प्रार्थीया पांची देवी पत्नि मुन्नालाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति बावरी सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निटूटी के ख0न0 953/944 रकबा 0.2523 है0 व ख0न0 955/944 रकबा 0.2878 है0 भूमि के पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र निर्धारित की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)